20

परिषद के मुख्यालय, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 27 मार्च, 1976 को 11-00 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1976 की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थेः-

1-	श्री वी0 एस0 कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
3-	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
4-	श्री इन्दु प्रकाश रैरन	संयुक्त सचिव वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
5-	श्री वी0 एन0 चन्ना	संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग (सचिव स्वायत्त शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

क्र0 सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1-	परिषद की दिनांक 27 जनवरी, 1976 को हुई वर्ष-1976 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	11/(1)/76	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2-	परिषद की वर्ष-1976 की प्रथम बैठक दिनांक 27 जनवरी, 1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	11/(2)/76	परिषद ने वर्ष-1976 की प्रथम बैठक दिनांक 27-1-1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया।
3-	परिषद के वित्तीय वर्ष 1975-76 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष-1976-77 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्योरे वार अनुमान।	11/(3)/76	परिषद ने वित्तीय वर्ष-1975-76 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष-1976-77 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्योरे वार अनुमान का विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
4-	सार्वजनिक उद्योग स्पोर्ट्स नियंत्रण बोर्ड को रु0 1000/= प्रतिवर्ष चन्दा देने के सम्बन्ध में।	11/(4)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से सार्वजनिक उद्योग स्पोर्ट्स नियंत्रण बोर्ड को रु0 1000/= प्रतिवर्ष शुल्क देने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
5-	मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरन व सत्य प्रकाश ठेकेदारों व्दारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।	11/(5)/76	परिषद व्दारा मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरन व सत्य प्रकाश ठेकेदारों व्दारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार अगली बैठक के लिये, सर्वसम्मति से, स्थगित किया गया।
6-	परिषद व्दारा जारी किये गये रु0 220 लाख तथा रु0 55 लाख के प्रतिभूति रहित ऋण-पत्रों (डिबेन्चर्स) के लिए निक्षेप निधियां (सिंकिंग फण्ड) की स्थापना।	11/(6)/76	परिषद मे जारी किये रु0 220 लाख तथा 55 लाख के प्रतिभूति रहित ऋण-पत्रों (डिबेन्चर्स) के लिये निक्षेप निधियों (सिंकिंग फण्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई टिप्पणी का अवलोकन किया।

(कृष्णा नाथ टण्डन)

कृ0 प0 उ0

(21)

1	2	3	4
7-	राजस्व परिषद के कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त मद्रांक शुल्क की वसूली सम्बन्धी बिलों को पारित करने हेतु फीस भुगतान के सम्बन्ध में।	11/(7)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से राजस्व परिषद के कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त मद्रांक शुल्क की वसूली सम्बन्धी बिलों को पारित करने हेतु रु0 1000/= की धनराशि वार्षिक शुल्क के रूप में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि राजस्व परिषद को राज्य सरकार से नियमान्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8-	शाहपुर भूमि विकास योजना संख्या-2, गोरखपुर में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित निर्माणों के अर्जन के सम्बन्ध में।	11/(8)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय।
9-	मुहबेवरी गृहस्थान योजना, इलाहाबाद में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित निर्माणों के अर्जन के सम्बन्ध में।	11/(9)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय।
10-	करेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना इलाहाबाद में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित निर्माणों के अर्जन के सम्बन्ध में।	11/(10)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय।
11-	देहली रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5, सहारनपुर के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में नियोजन समिति (पश्चिमी-क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय।	11/(11)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय। शहीदे आज़म सरदार भगत सिंह के भाई सरदार कुलतार सिंह के इस योजना में समाविष्ट खसरा प्लाट सं0-65, 68 व 73 को अर्जन से मुक्त करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 26-3-76 पर शासनादेश संख्या 2987/37-2-24/71 दिनांक 19-7-72 व शासनादेश सं0-5763/37-2-75 दिनांक 18-12-75 की पृष्ठभूमि में विचार करके परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इन तीनों भूखण्डों में से केवल वही अंश अर्जित किये जाय जिनकी योजना के लेआउट में सड़क आदि सार्वजनिक उपयोग के लिये आवश्यकता हो तथा उनकी शेष भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाय।
-.	सलोनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, मथुरा के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में नियोजन समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय।	11/(12)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय।

[illegible signature]

[illegible stamp]

कृ0 प0 उ0

(22)

1	2	3	4
13-	महौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 मथुरा के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में नियोजन समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय।	11/(13)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णयों की पुष्टि की तथा यह निर्णय लिया कि इस योजना के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जाय।
14-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 79(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के परिवादन हेतु परिषद द्वारा अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना।	11/(14)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित धारा 79 के अधीन परिषद के समस्त खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं व कार्य-अधीक्षकों तथा समस्त उपखण्डों के सहायक अभियन्ताओं को क्रिमिनल कम्प्लेंट दायर करने व उनकी पैरवी करने के लिये प्राधिकृत किया
15-	परिषद द्वारा निष्पादित योजनाओं का स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण।	11/(15)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, उन्नाव, लखनऊ तथा गोरखपुर की योजनाओं के उन भागों को जिनमें विकास सुविधायें पूरी हो गई हैं या भविष्य में हो जायें, स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही साथ यह भी अनुमति प्रदान की कि भविष्य में जैसे जैसे क्षेत्र सुविधायें विभिन्न योजनाओं में पूर्ण हो जावें वैसे ही उन्हें स्थानीय निकायों को हस्तान्तर कर दिया जाय।
16-	परिषद की मुरादाबाद स्थित सम्पत्ति को हडको के पक्ष में बंधक रखना।	11/(16)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से मुरादाबाद स्थित सम्पत्ति को हडको के पक्ष में बंधक रखने की स्वीकृति प्रदान की और साथ ही साथ टिप्पणी के साथ प्रस्तुत संकल्प का प्रारूप स्वीकृत किया।
17-	परिषद के कार्य-कलापों की प्रगति	11/(17)/76	परिषद द्वारा कार्य-कलापों की प्रगति तथा खण्डों व निर्माण इकाइयों के ब्योरे का अवलोकन किया गया।
18-	समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्मित किये जा रहे भवनों में आवंटियों को दी जाने वाली सहायता का प्राविधान।	11/(18)/76	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त समाज के दुर्बल वर्ग के लिए निर्मित किये जा रहे भवनों में आवंटियों को दी जाने वाली सबसिडी के सम्बन्ध में परिषद के समक्ष रखी जाने वाले प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया कि भविष्य में सबसिडी की धनराशि भूमि के मूल्य सहित भवन के कुल मूल्य की 20% होगी परन्तु किसी भी दशा में यह धनराशि रु0 1500/= से अधिक नहीं होगी।

(हस्ताक्षर)
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास ... [illegible]

(हस्ताक्षर)

कृ0प0उ0

1	2	3	4
19-	परिषद द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर ली जाने वाली ब्याज की दर में वृद्धि।	11/(19)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मध्य आय-वर्ग के भवनों तथा भूखण्डों का मूल्यांकन करते समय भूखण्डों तथा मध्य आय वर्ग के भवनों के मूल्यांकन तथा किश्तों की धनराशि में ब्याज की दर 9 से बढ़ाकर 10% कर दी जाय। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि यह नई दरें 1-4-1976 के बाद मूल्यांकनों पर लागू होगी।
20-	मेरठ शहर में योजना सं0-2 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	11/(20)/76	परिषद द्वारा मेरठ शहर में योजना सं0-2 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई टिप्पणी पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया। कि नगरपालिका से यह कहा जाय कि वह पालिका द्वारा एक प्रस्ताव पारित कराके शासन की अनुमति ले ले और परिषद को सूचित करें। यह भी निर्णय लिया गया कि यह मामला परिषद के समक्ष विचारार्थ अगली बैठक में फिर से प्रस्तुत किया जावे।